

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(Civil writ Jurisdiction)

C. W. J. C. M. _____ of 2015

Most Hon Dulari Devi & ORs, ... Plaintiffs-petitioners

Versus

The State of Bihar & Others, ... Defendants-respondents

Subj - Other Miscellaneous

I N D E X

<u>Sl. No.</u>	<u>Particulars</u>	<u>Page No.</u>
1.	An application u/Article 227 of the Constitution of India.	1 to 12
2.	Annexure-1; photo copy of the order dt 16-8-11	-13
3.	Annexure-2; photo copy of the order dt 27-7-12	-14
4.	Annexure-3; photo copy of the order dt 4-12-12,	-15 - 16
5.	Vakalatnama	

-II-

debarred the Respondent No. 1 and 2 for filing
their written statement.

27-7-13:- Learned Sub-Judge pleased to passed an Ex-parte.
App-2

against the defendant No. 3.

4-12-13:- Learned Sub-Judge was pleased to reject the written
App-3

statement filed by the Defendant No. 1, 2, and 3.

Hence this writ petition.

Most respectfully sheweth:-

1. That the petitioners have challenged the validity of the order dated 28-01-2015 passed by the learned Civil Sub-Judge-I, Madhepur, whereby and where under the learned Civil Sub-Judge-I, was pleased to dismissed the application filed by the petitioner with a prayer not to allow the defendants -Respondents who adduce the witnesses in their favour. The above said order be quashed by issuing a writ or writs, direction or directions.

2. That the petitioners have not moved this Hon'ble court against the order dt 28-01-2015.

3. That the petitioners are citizen of India and resides within the jurisdiction of this Hon'ble court.

4. That the substantial questions are

involved in the present writ application are as follows:-

(a) whether a court can allow the defendant to adduce the witnesses, when the Defendant have already been debarred from filing their written statement.

(b) whether the court can allow the defendant to adduce the witnesses completely ignoring the fact that the court has already passed an order that ex-parte proceeding will be taken up against the Defendant No. 3.

5. That the plaintiffs have filed a Suit vide Title Suit No. 129 of 2010 in the court of Civil Sub-Judge-II, Madhepura with a prayer that the land mentioned in C. & M. Khata No. 42, R. & Khata No. 127 C. & plot No. 94, R. & plot No. 345 measuring an area of 9 decimals of land situated

under the name of Nannan Nagar P. S- Sri Nagar
in the District of Madhepura is belonging to the
plaintiffs and purchase issued in favour of
shiv Kumar Jha is right holder of the property
since the year 1959.

6. That the further case of the plaintiffs
that the Revisional Survey which was recorded in
the name of State of Bihar has wrongly be recorded
against the correct physical position of the
plaintiffs.

7. That the further case of the plaintiffs
that the father of the petitioner No. 2 to 4 and
Husband of the petitioner No. 1 has constructed
the house over the land in question and they are
residing on the House.

8. That when the Revisional Survey was
wrongly recorded in the name of Education Department
the trouble started the petitioners have

Instituted the Title suit No. 129 of 2010 for declaration of their Title.

9. That it will not be out of place of mention here that the Defendant No. 1 and 2 have not filed their written statement and therefore the learned sub-Judge was pleased to debarred the Respondent No. 1 and 2 for filing their written statement vide an order dated 16-8-2011.

A photo copy of the order dated 16-8-11 is hereby annexed herewith and marked as Annexure-1 to this petition.

10. That it will not be out of place to mention here further that the Defendant no. 3 namely District Superintendent of Education, Madhepura

has also not appeared in the case and therefore the Learned Sub-Judge was pleased to pass an order dated 27-7-2012 by holding that the suit will proceed Ex-parte against the Defendant No. 1.

A photo copy of the order dated

27-7-12 is hereby annexed and

marked as Annexure-2 to this

writ application.

11. That it will not be out of place to mention here that the plaintiffs -petitioners started adducing their witnesses and the case of the plaintiffs were closed,

12. That in spite of the orders as mentioned above the Defendants No. 1, 2 and 3 filed their written statements and after hearing objection raised by the plaintiffs -petitioners the learned Sub-Judge was pleased to reject the written

statement filed by the Defendant No. 1, 2, and 3
vide an order dt 4-12-12,

A photo copy of the order
dated 4-12-12 is hereby annexed
and marked as Annexure-3 to
this writ application.

13. That it will not be out place to
mention here that the above facts and circumstances
of the case the defendant have completely
denied from contesting the case but they came
with the witnesses and four witnesses were
examined by the defendants.

14. That when the plaintiffs-petitioner
raised their objections that the Defendants
Respondents can not allow to adduce their
witnesses the learned Sub-Judge was pleased to
reject the case of the plaintiffs-petitioner
since they have crossed examined by the plaintiffs

therefore now the plaintiff-petitioner can not raised such objections and therefore please to reject the application of the plaintiff-petitioners vide impugned order dated 28-01-2015.

15. That it is humbly submitted as the defendant No.1 and 2 have already been debarred from filing their written statements and validity of those orders were not challenged in the Hon'ble High Court in its writ jurisdiction and therefore it touches the finality.

16. That similarly an order was passed by the Civil sub-Judge, Madhepura by holding that the Suit will proceed Ex-parte against the Defendant No.3 and the Defendant No.3 has also not challenged the validity of that order in the Hon'ble High Court and therefore it also touches the finality against the Defendant No.3.

17. That the as stated above it is humbly submitted that all the actions of Civil Sub-Judge-1 Madhepura is bad in law and without jurisdiction.

18. That the petitioners will suffer irreparable loss and injury if the impugned order dt 28-01-2015 is not set aside.

19. That the petitioners have got no other alternative and efficacious remedy than to move in its writ jurisdiction.

It is, therefore, prayed that your Lordships will graciously be please to admit this application, call for the records of the case, issue notices to the parties and after hearing the same be pleased to set aside the order dt dated 28-01-2015 passed by Civil Sub-Judge-1, Madhepura in Title

-11-

Suit No. 129 of 2010 (Mst Ram Dulari
Devi & other Versus The State of Bihar
& others) by issuing a writ or writs
direction or directions as your
Lordships may deem fit and proper in
the facts and circumstances of the case.

And

pending hearing of this application,
further proceeding in Title suit No.
129 of 2010 pending in the court of
Civil Sub-Judge-I (Senior Division)
Madhepura be stayed.

For this petitioners shall ever pray.

A F F I D A V I T

I, Prasad Kumar Jha, aged about 41 years, son of late Shiv Kumar Jha, resident of village - Namsamrahar, P.O. Lakshimpur Bhagwati, District- Patna, do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That I am the petitioner No. 3 of this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of this case,

2. That the contents of this petition have been read over and explained to me in Hindi which I have fully understood, the statements made in paragraph No. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 ~~and 16~~ are true to my knowledge and ~~but the statement made in paragraph No. 16~~ ~~are true to~~ my information derived from the records of this case and rests are by way of submission to this Hon'ble Court.

3. That the annexures are true/photo copy of their respective originals.

Deponent.

2329 — 23.3.15 - 29.3.15 Annexure-1/3
21.3.15 Court of Sub-Judge-I Madhepura

T.S.No - 129/10 श्री रामदुलारी क
9 माम

T.S 129/10


विद्या शर्मा

16-8/1

पारेली नया प्रमाण पत्र 1/2
श्री श्री के उपस्थित 18-8-10
प्रमाण पत्र 4. 5 मी निम्न
श. वाणिज्य प्रान्त में प्रमाणित
किता वाणिज्य प्रमाणपत्र है
प्रमाणित प्रमाण पत्र के लिए
कि प्रमाण पत्र 1/2 (दिनांक 18-8-10
श्री उपस्थित श्री श्री के प्रमाणित
प्रमाण पत्र 4. 1/2 श्री श्री के प्रमाणित प्रमाण
प्रमाणित प्रमाण पत्र के लिए प्रमाणित प्रमाण
प्रमाणित प्रमाण पत्र के लिए प्रमाणित प्रमाण
श्री श्री के प्रमाणित प्रमाण पत्र 1/2 श्री
प्रमाणित प्रमाण पत्र के लिए प्रमाणित प्रमाण
प्रमाणित प्रमाण पत्र के लिए प्रमाणित प्रमाण
प्रमाणित प्रमाण पत्र के लिए प्रमाणित प्रमाण

51-5-25
25-3-15

न्यायाधीकरण
श्री श्री
व्याज, गरीबपुरा
25



GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.
MADHEPURA SCORE, MADHEPURA
COURT FEE
Authorization No. 2037

Compared By
2 Copying Clerk

Certified to be true Copy
[Signature]

भारत STAMP DUTY
0 0 0 0 0
INDIA 374150 BIHAR
JUDICIAL
25.3.2015
Zero-Zero-Zero-Zero-Zero-Zero-Zero-Zero-Zero-Zero

T. C. 13

COURT OF SUB-JUDGE- I, MADHUPUR

S. No. 129/10

श्री० रामकुमारी देवी

बनाम

बिहार सरकार

15-8-11

वादी तथा प्रतिवादी सं० 1,2

की ओर से ब्यक्ति जस्टिसीत दिया गया

प्रतिवादी सं० 3 पर निर्गत सम्पन्न

का तामिला प्राप्त है। अवलोकन

द्वारा तामिला संतोषजनक है।

अभिज्ञे अवलोकन से स्पष्ट है

कि प्रतिवादी सं० 1,2 दिनांक 18-8-10

को जस्टिसीत हो चुके हैं। परन्तु आज तक

प्रतिवादी संख्या 1,2 की ओर से ब्याज तहरीर

दाखिल नहीं किया गया है। जबाब दाखिल

करने की वैधानिक अधिप समाप्त हो/र

हो चुकी है। अतः प्रतिवादी सं० 1,2 को

जबाब दाखिल करने से बोधित किया

जाता है। दिनांक 15-9-11 प्रतिवादी सं० 3

की जस्टिसीत हेतु।

हो अवलोकन
अवलोकन

Court of Sub-Judge-1, Madhepura

T. S. No. 129/10

मा. रान्दुलारी देवी

versus

State

27-7-12

वादी की ओर से उपस्थित दिया गया प्रतिवादी
बिहार सरकार अनुपस्थित । अभिलेख अवलोकन
दिया । इस वाद में प्रतिवादी सं० 3 पर तामिला
दिनांक 15-8-11 को संतोषजनक माना जा
सुका है तथा उसे उपस्थित रहने का ठोके का एक
अवसर दिया गया परन्तु प्रतिवादी सं० 3
आज तक उपस्थित नहीं हुए है अतः
प्रतिवादी सं० 3 के विरुद्ध एक पक्षीय
सुनवाई की जाती है दि० 26-9-12
प्रतिवादी बिहार सरकार की ओर से दायित्व
बयान तहरीर पर स्वीकृत हेतु ।

80/ अस्पष्ट

30 न्याय

21.3.15

22.3.15

24.3.15

25.3.15

16
16

TS 12910

4.12.15



Handwritten notes in Hindi, including '2 म' and '10'.

Handwritten signature or initials.

Handwritten notes in Hindi.

Certified By
Copy Clerk

आचार्य	95
जीविका	25
पुस्तक	10
प्रमाणित	10
कुल योग	2 x 55 = 110
तुलना किया	10

Certified to be true Copy
Head Clerk

Handwritten notes: 'Five Ryped ten pwin', '3 my', '25.2.15'

Court of sub-Judge- I, Madhepura

T. S. - 129/10

Ram Dulari Devi

Versus

State

4-12-12

वादी की ओर से जमा रकम देय न्यायालय । प्रतिवादी

सं 1,2 अनुपस्थित । अभिलेख न उपलब्ध किया ।

इस क्रम में प्रतिवादी सं 1,2 के दिनांक 16-8-11

को जबाब दायित्व करने से बर्खास्त किया जा रहा है

बुनियाद पुनः है । प्रतिवादी की ओर से दिनांक 17-10-11 को

जबाब दायित्व किया गया । परन्तु बर्खास्त आदेश को

वापस करने का कोई आवेदन नहीं दिया गया है ।

प्रतिवादी सं 1,2 की ओर से पैरवी भी

समाप्त —

लगातार
4-12-12

नही की जा रही है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं०

1-2 के अंतर्गत से दायित्व ध्यान तद्वरीर अस्वीकृत

किया जाता है। दि 29-1-13 वादी साक्ष्य सुनी

दायित्व करें।

हउ अलखट

वादी पूर्वादेश

का अतिक्रम

पालन करें।

2272
20.3.15

21.3.15 - 24.3.15
Court of Sub-Judge-I Madhepura
T.S. No - 129/10

25.3.15
श्री रामपूजारी देव
9711
विहार सरकार

2015 - वादी पक्ष की एवं प्रतिवादी विद्या सायन की एजेंट एम.पी.ए. वी.ए.
वादी पक्ष के मावेदर पत्र क्रमांक 11.8.14, प्रतिवादी पक्ष के मावेदर पत्र
क्रमांक 16.9.14 एवं तीसरे प्रतिवादी क्रमांक 20.10.14, मावेदर पत्र
प्रस्तुत किया गया।
वादी पक्ष के मावेदर पत्र क्रमांक 11.8.14 के मावेदर
से प्रस्तुत एजेंट प्रतिवादी को 3 के विहित क्रमांक 27.12.14 को उपनाम
सुभाषि का मावेदर पत्रिते होने एवं प्रतिवादी को 1, 2 को क्रमांक 16.8.11
को मावेदर पत्रिते होने से विनोद होने का मावेदर पत्रिते को

1
10/11/15

नमो भगवते वासुदेवाय
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः



4-62
25.3.15


GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION EXCISE & PROHIBITION DEPT.
MADHEPURA SCORE, MADHEPURA
COURT FEE
Authorization No. 2037
भारत
STAMP DUTY
00000
RS. 000003
25.3.2015
BIHAR
JUDICIAL
INDIA
Zero*Zero*Zero*Zero*Zero*Zero*Zero*Three

6318 0219442

संख्या 28/11/15

से दायित्व मान्य हो किंगडि 10.7.2014 को जारी किया है।
के द्वारा से प्रतिवादी पत्र को सादर प्राप्त करने से संबंधित
को भी की प्रार्थना की है। प्रतिवादी कि हाइकोर्ट में उचित
के माध्यम से प्रस्तुत बाव में प्रतिवादी पत्र के प्रतिवादी को
प्रतिवादी को वादी पत्र के द्वारा उचित रूप से सूचित प्रतिवादी
पत्र को सादर देने से संबंधित को भी प्रार्थना की जाती है।
को भी प्रार्थना की है।

पश्चात् प्रतिवादी विद्या लक्ष्मी ने आवेदन-पत्र किंगडि
16.9.14 के द्वारा आवेदन किंगडि 12.2.2012 को वापस लेने के लिए
अर्थात् किंगडि 13.10.14 को जारी करने की प्रार्थना की है। प्रतिवादी
पत्र में अर्थात् दायित्व को भी उचित विचार का आग्रह करने के लिए
आवेदन-पत्र से संबंधित विचार माफी को भी आवेदन-पत्र की है।
वादी पत्र ने इस आवेदन-पत्र का प्रतिकर किंगडि 31.10.14 को दायित्व
को निवेदन की है कि प्रतिवादी को अर्थात् किंगडि 12.2.2012 को
जारी किया जा चुका है एवं इसके अन्तर्गत हेतु किंगडि माफी
को उचित विचार लक्ष्य में "लीटि रिवरिंग" दायित्व को उचित
की है। प्रतिवादी पत्र के द्वारा यह कहा है कि प्रार्थना है तथा
प्रतिवादी को आवेदन-पत्र में उचित नदी एवं के द्वारा जारी होने
परिधि है। अतः पूर्वोक्त आवेदन-पत्र को जारी किया जायें



अतिलेख के माफी को प्रतीत होता है कि प्रस्तुत-
बाव में वादी के सादर को किंगडि 10.7.14 को वाद को दिया जायें।
तथा पश्चात् प्रतिवादी पत्र को भी किंगडि 27.7.14 को प्रमाणित
प्रस्तुत किया जायें। वाद, वादी को किंगडि के लिए रकपनीय एवं 11.2 के
अर्थात् को जारी करने के माध्यम को वादी पत्रने उचित
के अनिश्चित प्रतिवादी के द्वारा माध्यम लेना जायें। के पक्षीय को
के पश्चात् प्रतिवादी को भी किंगडि के भी किंगडि में यह प्रतीत होता है।
कि वादी ने सर्व प्रतिवादी को संघर्ष को भी माफी की है।
एवं वाद में को वादी या प्रतिवादी संघर्ष को भी उचित है।
किंगडि संघर्ष को भी माफी देना न्यायिक में उचित प्रतीत होता
है। अतः वादी पत्र के आवेदन-पत्र किंगडि 11.7.14 को जारी किया
जायें। एवं प्रतिवादी के आवेदन-पत्र किंगडि 14.7.14 को उचित-

1/10/15

20-3-15

21-3-15

24-3-15

25-3-15

315

28/3/15
 मूल्य लेखी मूल्य वाली माल को देय रेटा की दर द्वारा
 माल को लेखी मूल्य पर के अन्तर्गत की दर से
 वाली माल को लेखी मूल्य रेटा वाली माल को लेखी मूल्य
 पर लेखी मूल्य लेखी मूल्य की
 दिनांक 18-3-15 लेखी मूल्य पर
 के अन्तर्गत माल को लेखी



दिनांक
 मूल्य

3/15
 25-3-15

25/3/15

आय	
फॉर्मिडो	
प्रकार	4.95
प्रमाणित	0.05
कुल आय	48.55 = 2.20
मुल्य लेखी	

प्रकार मुल्य लेखी 2.20

Seven Rypels Twenty paise

3/15
 25-3-15



Court of sub-Judge- I, Madhepura

T. & No. 129/20

मो० रामझारी देवी

बनाम
बिहार सरकार

28-1-15 वादी पत्र की एवं प्रतिवादी बिहार सरकार की बाबरी है। अभिलेख
वादी पत्र के आवेदन पत्र दिनांक 11-8-14 प्रतिवादी पत्र के आवेदन पत्र
दिनांक 18-9-14 एवं उसके प्रतिउत्तर दिनांक 9-10-14 पर आवेदनार्थ
प्रस्तुत किया गया।

वादी पत्र में आवेदन पत्र दिनांक 11-8-14 के माध्यम
से प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं० [3] के विरुद्ध दिनांक 27-7-12 को एक पक्षीय
कुमवाई का अज्ञात पारित होने एवं प्रतिवादी सं० 1,2, को दिनांक 18-8-11
को बहाल दाखल करने से विवर्धित कर देने तत्पश्चात उनकी ओर

स्मातार---

समाचार
28-1-15

ते दायित्व बहाब को दिनांक 4-12-2012 को अस्वीकार कर देने के कारण से प्रतिवादी पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने से बौधत करने की प्रार्थना किये है। प्रतिवादी विहार सरकार ने प्रतिउत्तर के माध्यम से प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी पक्ष के चार नवाहों का प्रतिवरीक्षण वादी पक्ष के द्वारा कर लिये जाने एवं अब प्रतिवादी पक्ष को साक्ष्य देने से बौधत करने की प्रार्थना को अस्वीकार करने की प्रार्थना किये है।

पश्चात प्रतिवादी विहार सरकार ने आवेदन पत्र दिनांक 16-9-14 के द्वारा आदेश दिनांक 4-12-2012 को बायत से कर उनके बहाब दिनांक 17-10-11 को स्वीकार करने की प्रार्थना किये है। प्रतिवादी पक्ष ने बहाब दायित्व करने में हुये विकल्प का खर्च करने के लिए शपथ पत्र में समीक्षित विकल्प भाषी का भी आवेदन पत्र दिये है। वादी पक्ष ने इस आवेदन पत्र का प्रतिउत्तर दिनांक 9-10-2014 को दायित्व कर निवेदन किये हैं कि प्रतिवादी पक्षों का बहाब दिनांक 4-12-2012 को अस्वीकृत किया जा चुका है एवं इसके सुधार हेतु उन्हें माननीय पटना उच्च न्यायालय में "सीमित रिभिजन" दायित्व करने का विकल्प था। पर प्रतिवादी पक्ष के द्वारा यह करवाई नहीं किया गया है वही प्रतिवादी का आवेदन पत्र संश्लेषणीय नहीं रहने के कारण खारिज होने योग्य है। अतः पूर्वोक्त आवेदन पत्र को खारिज किया जाय।

अभिज्ञेय के आदेशों से प्रतीत होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी के साक्ष्य को दिनांक 10-7-14 को खण्ड कर दिया गया है। तत्पश्चात प्रतिवादी पक्ष की ओर से दिनांक 21-7-14 को प्रथम नवाह प्रस्तुत किया गया। वाद वादी सं[3] के लिए एक पक्षीय एवं 1,2 के 8 बका को अस्वीकृत किये जाने के पश्चात भी वादी पक्ष ने उस नवाह के अतिरिक्त प्रतिवादी के द्वारा अन्य तीन नवाहों के परीक्षण करने के पश्चात प्रतिवरीक्षण किये है। ऐसी स्थिति में यह प्रतीत होता है कि वादी ने स्वयं प्रतिवादी को संर्भ करने का अवसर दिये है एवं वाद में कोई वादी या प्रतिवादी संर्भ करने के इच्छुक हैं तो उन्हें संर्भ करने का अवसर देना न्यायालय में रक्षक रहना प्रतीत होता है। अतः वादी पक्ष के आवेदन पत्र दिनांक 11-8-14 को खारिज किया जाता है एवं प्रतिवादी के आवेदन पत्र दिनांक 16-9-14 को खण्ड-

लगातार
28-1-18

त्ये अवधि पर जो वादी पक्ष को देय होगा स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादी पक्ष के जवाब को विचार करने के बाद वादी पक्ष को अधिकार प्राप्त होगा। वादी पक्ष को प्रतिवादी पक्ष अविश्वस्य अवधि अदायगी करें।

दिनांक 18-2-18 अवधि का अदायगी एवं पत्रकारों के द्वारा विधिमान्त करवाई करने हेतु।

संज्ञापित

80 अक्षर

अनु० न्या०

P.O. Lakshmi Pr Bhagwati in the District
of Madhepura.. ...Plaintiffs-petitioners.

versus

1. The state of Bihar through Collector, Madhepura,
at & P.O. Madhepura, District- Madhepura
2. Circle Officer, Kumar Bhand Circle at P.O.-
Kumar Bhand in District of Madhepura
3. District Superintendent of Education,
Madhepura , at & P.O. Madhepura
.... Defendants-- Respondents.

To

The Hon'ble Mr. Justice L. Narasimha
Reddy, the Chief Justice of the High Court of
Judicature at Patna and His Other Companion
Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf
of the petitioner above named.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.NO. _____ of 2015

Most. Mrs Dulari Devi & Ors. plaintiffs-petitioners

Versus

The State of Bihar through & Others

.... Defendants- Respondents.

SYNOPSIS

Reliefs:- Petitioners have challenged the validity of the order dated 23-01-2015 passed by the learned Civil Judge-I, Madhepura whereby and whereunder the learned Civil Sub-Judge-I was pleased to dismissed the application filed by the petitioners with a prayer not to allow the defendants - respondents who adduced the witnesses in their favour. The above said order is quashed by issuing a writ or writs, direction or directions.

CHRONOLOGICAL DATES AND EVENTS

Order of Learned Sub-Judge who was pleased to